रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 10, 2014/ज्येष्ठ 20, 1936
No. 171] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 10, 2014/JYAISTHA 20, 1936

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2014

सं. एल-1/148/2014-केविविआ : केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178(1) तथा 178(2) (यङ) के अधीन प्रदत शक्तियों तथा इस निमित सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः**

(1) इन विनियमों का नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा प्रणाली विकास निधि) विनियम, 2014 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं:**

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) **'अधिनियम'** से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) जिसमें उसके संशोधन भी हैं, अभिप्रेत है;

(ख) **'आंकलन समिति'** से भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पीएसडीएफ से निधियन के लिए विभिन्न परियोजना प्रस्तावों की पूर्विकता तथा पीएसडीएफ से संबंधित ऐसे अन्य कृत्यों, जो समनुदेशित किए जाएं, के प्रयोजनों के लिए गठित समिति अभिप्रेत है;

(ग) **'समुचित आयोग'** से अधिनियम में यथा परिभाषित केन्द्रीय आयोग या राज्य आयोग तथा संयुक्त आयोग अभिप्रेत है;

(घ) **'संकुलन सहायता विनियम'** से, समय समय पर, यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (वास्तविक समय प्रचालन में संकुलन अवमुक्ति के उपाय) विनियम, 2009 तथा उसके पश्चात्वर्ती अधिनियमिति अभिप्रेत है;

(ङ) **'ऊर्जा बाजार विनियम'** से समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियमाक आयोग (ऊर्जा बाजार) विनियम, 2010 तथा उसके पश्चात्वर्ती अधिनियमिति अभिप्रेत है;

(च) **'संकुलन सहायता विनियम'** का वही अर्थ है जो ऊर्जा बाजार विनियम के विनियम 33 में है;

(छ) **'संकुलन प्रभार'** का वही अर्थ है जो संकुलन सहायता विनियम में है;

(ज) **'विस्तृत प्रक्रिया'** से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जो इन विनियमों के अनुसार तथा ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पीएसडीएफ का प्रचालन करने वाली स्कीम के अनुसार पीएसडीएफ के कार्यान्वयन तथा प्रशासन के लिए मानीररिंग समिति के अनुमोदन से, नोडल अभिकरण द्वारा तैयार की गई हो;

(झ) **'विचलन व्यवस्थापन प्रभार'** का वही अर्थ है जो विचलन व्यवस्थापन तंत्र विनियम में है;

(ञ) **'विचलन व्यवस्थापन तंत्र विनियम'** से समय समय पर, यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तथा संबंधित मामले) विनियम, 2014 तथा उसके पश्चात्वर्ती अधिनियमिति अभिप्रेत है;

(ट) **'ग्रिड संहिता'** से समय समय पर, यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2010 तथा उसके कोई पश्चात्वर्ती अधिनियमिति अभिप्रेत है;

(ठ) **'मानीटरिंग समिति'** से ऐसी समिति अभिप्रेत है जिसे भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं की संस्वीकृति, पीएसडीएड से निधियां देना तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संपूर्ण पर्यवेक्षण तथा मानीटरिंग तथा ऐसे अन्य कृत्यों, जो समनुदेशित किए जाएं, के प्रयोजनों में गठित की गई हो;

(ड) **'नोडल अभिकरण'** से ऐसा अभिकरण अभिप्रेत है जिसे इन विनियमों के विनियम 5 के खंड (क) में यथा पदाभिहित किया गया हो;

(ढ) **'पीएसडीएफ'** से इन विनियमों के विनियम 3 के अधीन गठित ऊर्जा प्रणाली विकास निधि अभिप्रेत है;

(ण) **'रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार'** का वही अर्थ हो जो ग्रिड संहिता में है।

(2) यथापूर्वोक्त के सिवाय जब तक संदर्भ या विषय-वस्तु से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों पदों का, जो यहां परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम या आयोग द्वारा बनाए गए अन्य विनियमों में परिभाषित है, का वही होगा, जो क्रमशः अधिनियम या विनियम में है।

(3) समय-समय पर यथा संशोधित सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) के उपबंध इन विनियमों के निर्वचन के लिए वैसे ही लागू होंगे जैसे वे संसद के अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होते हैं।

3. **निधि का गठनः**

(1) "ऊर्जा प्रणाली विकास निधि" या "पीएसडीएफ" नामक निधि का गठन किया जाएगा तथा जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगाः-

(क) संकुलन सहायता विनियम के अनुसार, ब्याज, यदि कोई हो, के साथ प्राप्त संकुलन प्रभारों को प्राप्त करने के लिए हकदार प्रादेशिक इकाइयों को संदेय रकम देने के पश्चात् 'संकुलन प्रभार खाता' के नाम में जमा संकुलन प्रभार;

(ख) ऊर्जा बाजार विनियम के अनुसार पावर एक्सचेंजों में बाजार विभाजन के परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों की बाजार कीमत में अंतर से प्रोद्‌भूत संकुलन रकम;

(ग) विचलन व्यवस्थापन तंत्र विनियम के अनुसार दावों का अंतिम निपटान करने के पश्चात् "क्षेत्रीय विचलन पूल निधि खाता" के नाम में जमा अननुसूचित विनिमय प्रभार;

(घ) ग्रिड संहिता के अनुसार रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार खाते के नाम में जमा आरएलडीसी रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार;

(ङ) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 तथा उसमें संशोधनों के अनुसार अल्पकालिक निर्बाध पहुंच अग्रिम द्विपक्षीय संव्यवहारों की प्रक्रिया में सुभिन्न नीलामी से उद्‌भूत अंतिरिक्त पारेषण प्रभार;

(च) ऐसे अन्य प्रभार, जो केन्द्रीय आयोग, समय समय पर, अधिसूचित करे।

2. ऐसे अभिकरण, जो अपने-अपने विनियमों के अधीन संकुलन प्रभार, संकुलन रकम, संकुलन व्यवस्थापन प्रभार, रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार तथा ऐसे अन्य प्रभार, जो समय समय पर, आयोग द्वारा अधिसूचित किए जाएं, संगृहीत करने के लिए हकदार हैं, इस विनियम के खंड (1) के उपखंड (क) से (च) के अधीन मासिक आधार पर या इस प्रकार की आवधिकता जो विस्तृत क्रियाविधि में दी गई है, निधियों में शेष रकमों को जमा करने के लिए अंतरण करेंगे।

3. पीएसडीएफ को भारत के लोक लेखा के माध्यम से रखा तथा संचालित किया जाएगा। सभी रकमें, जो विनियम 3 के खंड (1) के अनुसार निधि में प्रोद्‌भूत होंगी और निधि में संचित निधि किन्तु जो इस विनियम के जारी होने तक लोक लेखा में अंतरित न की गई हो, भारत के लोक लेखा में अंतरित की जाएगी।

4. **पीएसडीएफ का उपयोजन:**

पीएसडीएफ का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा:

(क) अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) तथा ऐसी अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली, जो आईएसटीएस के आनुषंगिक हो, में संकुलन अवमुक्ति के लिए भार प्रेषण केन्द्रों द्वारा प्रचालनात्मक फीडबैक पर आधारित सामरिक महत्व की पारेषण प्रणालियों;

(ख) शंट कैपिसिटरों, सीरीज कंपन्सेटरों तथा अन्य रिएक्टिव ऊर्जा उत्पादकों, जिसमें ग्रिड में वोल्टता प्रोफाइल सुधार के लिए स्टेटिक वीएआर कंपन्सेटर (एसवीसी) तथा स्टेटिक समक्रमिक (संक्रनाइजस) कंपनसेटर (स्टेटकॉम) जैसे रिएक्टिव ऊर्जा समायोजन तथा डाइनेमिक रिएक्टिव सहायता भी है, की संस्थापना;

(ग) विशेष संस्था स्कीम, पाइलट तथा प्रदर्शनात्मक परियोजनाओं मानक संस्था स्कीमों की संस्थापना तथा क्षेत्रीय आधार पर संस्था संपरीक्षा में पहचानी गई विसंगतियों को उपवर्णित करने;

(घ) संकुलन अवमुक्ति के लिए पारेषण प्रणाली का नवीकरण तथा आधुनिकीकरण (आर एंड एम);

(ङ) तकनीकी अध्ययनों, क्षमता निर्माण, फेज (मापमान यूनिट (पीएमयू) आदि की संस्थापना जैसे अन्य उद्देश्यों को पूरा करने वाली कोई अन्य स्कीम/परियोजना;

(2) पीएसडीएफ का उपयोग उपरोक्त ऐसे क्षेत्रों में वितरण उपयोगिताओं द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए किया जाएगा जो अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के आनुषंगिक हो तथा ग्रिड की सुरक्षा से संबंधित हो परंतु यह कि ऐसी परियोजनाएं पुर्नसंरचित त्वरितता ऊर्जा विकास तथा सुधार कार्यक्रम (आरएपीडीआरपी)

और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)/राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) आदि जैसी भारत सरकार की किसी अन्य स्कीम में सम्मिलित न हों।

(3) निजी क्षेत्र की परियोजनाएं पीएसडीएफ से सहायता पाने के लिए पात्र नहीं होंगी।

(4) पूर्विकता मुख्यतः (i) ग्रिड सुरक्षा सरोकार को संबोधित करने; (ii) राष्ट्रीय महत्व; (iii) बहु-उपयोगिता/क्षेत्रीय/राज्य महत्व की; (iv) अंतर-राज्यिक प्रकृति की स्कीमों के मानदंड पर दी जाएगी।

5. **नोडल अभिकरण तथा उसके कृत्यः**

(क) राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र (एनएलडीसी) इन विनियमों के अधीन स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नोडल अभिकरण होगा।

(ख) नोडल अभिकरण निम्नलिखित कृत्य करेगाः-

(i) मानीटरिंग तथा आंकलन समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा;

(ii) मानीटरिंग समिति द्वारा, समय समय पर, अनुमोदित प्रक्रिया के अनुरूप पीएसडीएफ से निधि देने तथा संवितरित करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया तैयार करेगा;

(iii) आंकलन समिति द्वारा मानीटरिंग समिति को प्रत्येक बैठक में किए गए कारबार का अभिलेख रखेगा;

(iv) बजट तैयार करने, पीएसडीएफ लोक लेखा से प्राप्तियों/संवितरणों का लेखांकन तथा मानीटरिंग समिति के अनुमोदन से लेखा परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया तैयार करेगा;

(v) पीएसडीएफ की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा;

(vi) ऐसे अन्य कृत्य करेगा जो मानीटरिंग समिति तथा आंकलन समिति द्वारा सौंपे जाए।

6. **आंकलन समितिः**

अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (साईए) की अध्यक्षता में एक आंकलन समिति होगी जिसे संवीक्षा (तकनीकी आर्थिक आंकलन) एवं इन विनियमों के विनियम 4 के खंड (4) के अनुसार, पीएसडीएफ से निधियन तथा ऐसे अन्य कार्यों के लिए, जो मानीटरिंग समिति द्वारा सौंपे जाएं, विभिन्न परियोजना प्रस्तावों को पूर्विकता देने के लिए भारत सरकार (विद्युत मंत्रालय) द्वारा गठित किया जाएगा।

7. **मानीटरिंग समितिः**

भारत सरकार (विद्युत मंत्रालय) मानीटरिंग समिति के रूप में ज्ञात सचिव (विद्युत) भारत सरकार की अध्यक्षता में अंतर मंत्रालयी मानीटरिंग समिति गठित की जाएगी जिसमें सदस्यों के रूप में विद्युत मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय), केन्द्रीय विद्युत अधिकरण (सीईए) तथा योजना आयोग के प्रतिनिधि होंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पावर सिस्टम कारपोरेशन लिमिटेड (पोसोको) समिति के सदस्य-सचिव होंगे। मानीटरिंग समिति आंकलन समिति की सिफारिशों और केन्द्रीय आयोग की संसूचना के आधार पर मंजूरी के लिए इस प्रकार की परियोजनाओं (या उनकी संशोधित लागत) पर विचार करेगी कि इस प्रकार की परियोजनाएं इन विनियमों में परिभाषित सिद्धान्तों के अनुसार हैं और उन्हें इन विनियमों में परिकल्पित सिद्धान्तों के अनुसार पूर्विकता दी गई है। मानीटरिंग समिति द्वारा मंजूरियों के आधार पर निधियों को विद्युत मंत्रालय के बजट से परियोजना इकाईयों को दिया जाएगा। समिति इसके द्वारा संस्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण एवं मानीटर करेगी। पीएसडीएफ से दी गई निधियों को इस संबंध में वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। परियोजना इकाईयों को संवितरण के लिए लोक लेखा से नोडल अभिकरण को निधियां अध्यपेक्षित व्यय नियंत्रण का प्रयोग करने के पश्चात् ही दी जाएंगी परंतु यह कि स्कीम में विद्युत मंत्रालय के अनुदान-मांगों के लिए पर्याप्त निधियों का प्रावधान किया गया हो।

8. **पीएसडीएफ के प्रयोग, स्क्रीनिंग, आंकलन, मानीटरिंग, संस्वीकृति आदि के लिए प्रक्रियाः**

(क) यथास्थिति, क्षेत्रीय विद्युत समितियां, उत्पादन कंपनियां, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, संवितरण अनुज्ञप्तिधारी, भार प्रेषण केन्द्र, पावर एक्सचेंज, नोडल अभिकरण को परियोजनाओं, स्कीमों या गतिविधियों के आवश्यक ब्यौरे प्रस्तुत करेंगे।

(ख) नोडल अभिकरण तकनीकी-आर्थिक संवीक्षा के लिए इन परियोजनाओं या स्कीम या गतिविधियों को आंकलन समिति के समक्ष रखेगा।

(ग) प्रस्तावों की संवीक्षा करने के बाद आंकलन समिति अपनी आंकलन रिपोर्ट तथा सिफारिशें लिखित में केन्द्रीय आयोग को और उस परियोजना इकाई को प्रस्तुत करेगी, जिसने प्रस्ताव भेजा है।

(घ) नोडल अभिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए आंकलन समिति की सिफारिशों सहित केन्द्रीय आयोग के पास आएगा कि परियोजना/स्कीमें/ गतिविधियां इन विनियमों के कार्यक्षेत्र में हैं।

(ङ) इस प्रकार के संदर्भ की प्राप्ति पर केन्द्रीय आयोग, ऐसा संदर्भ प्राप्त करने के पश्चात् निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करेगा अर्थात्‌ः

(i) क्या प्रस्तावित परियोजनाएं/स्कीमें/गतिविधियां इन विनियमों में परिभाषित प्रयोजनों के अनुसार हैं;

(ii) क्या प्रस्तावित स्कीम/स्कीमों को इन विनियमों में परिकल्पित सिद्धान्तों के अनुसार पूर्विकता दी गई है।

(च) यदि इस विनियम के खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा कर लिया गया है तो केन्द्रीय आयोग नोडल अभिकरण को इस बात की सूचना देगा कि प्रस्तावित परियोजनाएं इन विनियमों में परिभाषित सिद्धान्तों के अनुसार हैं और इन विनियमों में दिए गए सिद्धान्तों के अनुसार पूर्विकता दी गई है।

(छ) केन्द्रीय आयोग, इस प्रक्रम पर, परियोजना लागत के ब्यौरों की जांच नहीं करेगा जिसकी जांच समुचित आयोग द्वारा अन्य बातों के साथ साथ, परियोजना इकाई द्वारा टैरिफ याचिका के दाखिल करने के समय पर ही की जाएगी कि इस प्रकार की ऐसी परियोजना/स्कीम के संबंध में टैरिफ का टीएसडीएफ से अनुदान के भाग के लिए दावा नहीं किया गया है।

(ज) केन्द्रीय आयोग से इस संबंध में प्राप्त संसूचना के आधार पर नोडल अभिकरण पीएसडीएफ से निधि की मंजूरी के लिए मानीटरिंग समिति से संपर्क करेगा।

9. **सहायता पद्धतिः**

निधि की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, निधियन को अनुदान रूप में दिया जाएगा। अनुदान की मात्रा परियोजना के सामरिक महत्व और आकार पर निर्भर करेगी और इस पर इन विनियमों के अनुसार देने के लिए विचार किया जाएगा। इस संबंध में, मानीटरिंग समिति द्वारा विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार किए जाएंगे।

10. **आस्तियों का निष्पादन, परिचालन और रखरखावः**

परियोजना इकाई इसके उपयोगी काल के दौरान परियोजनाओं के निष्पादन तथा परिचालन एवं रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगी। परियोजना/स्कीम का परिचालन एवं रखरखाव, समय-समय पर, यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ में निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2014 या उसके किसी पश्चात् अधिनियमिति के अनुसार शासित होंगे।

11. **बजट, लेखा एवं अन्य अभिलेखों को तैयार करना :**

बजट तैयार करने, पीएसडीएफ लोक लेखा से प्राप्ति/संवितरणों का लेखा, उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं लेखा परीक्षा, आदि इस संबंध में विस्तृत प्रक्रिया में दिए गए उपबंधों के अनुसार शासित होंगे।

2382GI/14-2

12. **परियोजनाओं/स्कीमों का कार्यान्वयन, मानीटरिंग और नियंत्रणः**

(क) क्षेत्रीय विद्युत समितियां, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, संवितरण अनुज्ञप्तिधारी, भार प्रेषण केन्द्रों, पावर एक्सचेंजों, केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता (सीटीयू) अंतःराज्यिक प्रणालियों के लिए राज्य पारेषण उपयोगिता (एसटीयू), जो आईएसटीएस के आनुषंगिक हैं, कार्यान्वयन अभिकरण होंगी।

(ख) आंकलन समिति विद्युत मंत्रालय के परामर्श से, परियोजना/स्कीम के अंतर्गत निधिपोषित परियोजनाओं की प्रत्येक प्रवर्ग के लिए मात्रा योग्य वित्तीय एवं तकनीकी निष्कर्ष (आउटकम) पैरामीटरों के उद्देश्य को अधिकथित करते हुए, परियोजनाओं के कार्यान्वयन के मूल्यांकन के लिए तंत्र विकसित करेगी।

(ग) मानीटरिंग समिति तैयार तंत्र, जो उक्त खंड (ख) तक सीमित नहीं है, के आधार पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण तथा मानीटर करेगी।

13. **वार्षिक रिपोर्टः**

तुलन पत्र एवं संपरीक्षित लेखाओं के साथ वर्ष के दौरान आरंभ की गई परियोजनाओं को शामिल करते हुए निधि की वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की जाएगी और जिसकी सूचना केन्द्रीय आयोग को भेजी जाएगी। वार्षिक रिपोर्ट विद्युत मंत्रालय के माध्यम से दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी।

14. **कठिनाईयों को दूर करने की शक्तिः**

यदि इन विनियमों के उपबंधों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग सामान्य या विनिर्दिष्ट आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगा जो अधिनियम तथा और उसके अधीन बनाए गए ऐसे विनियमों को, जो इन विनियमों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो, से सुसंगत हों।

15. **निरसन और व्यावृतियां:**

(क) इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित के अनुसार, केंन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा प्रणाली विकास निधि) विनियम, 2010 निरसित किए जाते हैं।

(ख) ऐसे निरसन में किसी बात के होते हुए भी, निरसित विनियमों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या आशयित कोई बात जिसमें कोई प्रक्रिया, मिनट, वार्षिक रिपोर्ट, पुष्टि या उद्घोषणा या निष्पादित कोई लिखत भी है, इन विनियमों के सुसंगत उपबंधों के अधीन की गई या की गई कार्रवाई मानी जाएगी।

शुभा शर्मा, सचिव

[विज्ञापन–III/4/असाधारण/152/14]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NEW DELHI

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2014

No. L-1/148 /2014/CERC In exercise of the powers conferred by Sections 178 (1) and 178 (2) (ze) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title and commencement:**

(1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Power System Development Fund) Regulations, 2014.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions:

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires:

(a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), including amendments thereto;

(b) "Appraisal Committee" shall mean the Committee constituted by Government of India, Ministry of Power for the purpose of scrutiny (techno-economic appraisal) and prioritization of various project proposals for funding from PSDF and such other functions relating to PSDF as may be assigned;

(c) "Appropriate Commission" means the Central Commission or the State Commission or the Joint Commission as defined in the Act;

(d) "Congestion Relief Regulations" means Central Electricity Regulatory Commission (Measures to relieve congestion in real time operation) Regulations, 2009 as amended from time to time and any subsequent enactment thereof;

(e) "Power Market Regulations" means Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2010 as amended from time to time and any subsequent enactment thereof;

(f) "Congestion Amount" has the same meaning as assigned to it in Regulation 33 of the Power Market Regulations;

(g) "Congestion Charge" has the same meaning as assigned to it under Congestion Relief Regulations;

(h) "Detailed Procedure" means the procedure prepared by the Nodal Agency, with the approval of the Monitoring Committee, for implementation and administration of PSDF in accordance with these regulations and as per the scheme for operationalization of PSDF notified by Ministry of Power, Govt. of India.

(i) "Deviation Settlement Charges" has the same meaning as assigned to it in the Deviation Settlement Mechanism Regulations;

(j) "Deviation Settlement Mechanism Regulations" means the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement and related matters) Regulations 2014 as amended from time to time and subsequent enactment thereof;

(k) "Grid Code" means the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations 2010, as amended from time to time and any subsequent enactment thereof;

(l) "Monitoring Committee" shall mean the committee constituted by Government of India, Ministry of Power for the purpose of sanctioning of projects, release of funds from PSDF and overall supervision and monitoring of the implementation of projects and such other functions as may be assigned;

(m) "Nodal Agency" means the agency as designated under clause (a) of regulation 5 of these regulations;

(n) "PSDF" means the Power System Development Fund constituted under Regulation 3 of these regulations;

(o)"Reactive Energy Charges" has the same meaning as assigned to it in the Grid Code;

(2) Save as aforesaid and unless repugnant to the context or the subject-matter otherwise requires, words and expressions used in these regulations and not defined, but defined in the Act, or the regulations made thereunder by the Commission, shall have the meanings assigned to them respectively in the Act or the regulations.

(3) The provisions of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) as amended from time to time shall apply for the interpretation of these regulations as they apply for the interpretation of an Act of Parliament.

3. Constitution of the Fund:

(1) There shall be constituted a fund to be called the "Power System Development Fund" or "PSDF" and there shall be credited thereto.-

(a) Congestion charges standing to the credit of the "Congestion Charge Account" after release of amounts payable to Regional Entities entitled to receive congestion charges along with interest, if any, in accordance with the Congestion Relief Regulations;

(b) Congestion amount arising from the difference in the market prices of different regions as a consequence of market splitting in power exchanges in accordance with Power Market Regulations;

(c) Deviation Settlement Charges standing to the credit of the "Regional Deviation Pool Account

Fund" after final settlement of claims in accordance with Deviation Settlement Mechanism Regulations;

(d) RLDC reactive energy charges standing to the credit of Reactive Energy Charges Account in accordance with the Grid Code;

(e) Additional Transmission Charges arising out of the explicit auction process in STOA Advance Bilateral transactions in accordance with the CERC (Open Access in interstate transmission) Regulations, 2008 and amendments thereof;

(f) Such other charges as may be notified by the Central Commission from time to time:

(2) The agencies which are authorized to collect Congestion charges, Congestion amount, Deviation Settlement charges, Reactive energy charges under the respective regulations and such other charges as may be notified by the Commission from time to time, shall transfer to the credit of the Fund the balance amounts in the charges under sub-clauses (a) to (f) of clause (1) of this regulation on monthly basis or on such periodicity as may be provided in the Detailed Procedure.

(3) The PSDF shall be maintained and operated through the Public Account of India. All the amounts that would accrue into the fund as per clause (1) of Regulation 3 and also the amounts lying accumulated in the fund and not transferred to public account till the issue of this regulation, shall be transferred to the Public Account of India.

4. **Utilization of the PSDF**:

(1) PSDF shall be utilized for the following purposes:

(a) Transmission systems of strategic importance based on operational feedback by Load Despatch Centers for relieving congestion in inter-State transmission system (ISTS) and intra-State Transmission Systems which are incidental to the ISTS.

(b) Installation of shunt capacitors, series compensators and other reactive energy generates including reactive energy absorption and dynamic reactive support like static VaR compensator (SVC) and static synchronous compensator (STATCOM) for improvement voltage profile in the Grid.

(c) Installation of special protection schemes, pilot and demonstrative projects, standard protection schemes and for setting right the discrepancies identified in the protection audits on regional basis.

(d) Renovation and Modernization (R&M) of transmission system for relieving congestion.

(e) Any other scheme/ project in furtherance of the above objectives such as technical studies, capacity building, installation of Phasor Measurement Unit (PMU) etc.

(2) PSDF shall also be utilized for the projects proposed by distribution utilities in the above areas which are incidental to inter-state transmission system and have a bearing on grid safety and security, provided that these projects are not covered under any other scheme of the Government of India, such as Restructured Accelerated Power Development & Reforms Programme (RAPDRP), Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana (RGGVY) / National Electricity Fund (NEF) etc.

(3) The private sector projects shall not be eligible for assistance from PSDF.

(4) Prioritization shall be done mainly on the criteria of the schemes (i) addressing grid security concerns; (ii) being of national importance; (iii) being in the order of National/Multi utility/Regional/State importance; (iv) being inter-state in nature.

5. **Nodal Agency and its functions**

(a) National Load Despatch Centre (NLDC) shall be the Nodal Agency for the implementation of the scheme under these regulations.

(b) The Nodal Agency shall perform the following functions:-

(i) Act as Secretariat to the Monitoring Committee and the Appraisal Committee.

(ii) Prepare a Detailed Procedure for release and disbursement from PSDF consistent with the Procedure approved by the Monitoring Committee from time to time.

(iii) Keep the Record of Business transacted at each meeting of the Appraisal Committee and the Monitoring Committee.

(iv) Prepare detailed procedure for preparation of Budget, Accounting of receipts/ disbursals from PSDF Public Account and Audit with the approval of the Monitoring Committee.

(v) Prepare Annual Report of the PSDF.

(vi) Perform such other functions as may be assigned by the Monitoring Committee and the Appraisal Committee.

6. **Appraisal Committee**

There shall be an Appraisal Committee headed by the Chairperson, Central Electricity Authority (CEA), to be constituted by the Government of India (Ministry of Power) for scrutiny (techno-economic appraisal) and prioritization of the various projects proposals for funding from PSDF in line with Clause (4) of Regulation (4) of these Regulations and such other functions as may be assigned by the Monitoring Committee.

7. **Monitoring Committee**

Government of India (Ministry of Power) shall constitute an Inter-Ministerial Monitoring Committee under the Chairmanship of Secretary (Power) Government of India to be known as Monitoring Committee and shall also consist of representatives from the Ministry of Power, Ministry of New and Renewable Energy, Department of Expenditure (Ministry of Finance), Central Electricity Authority (CEA) and Planning Commission as Members. The Chief Executive Officer, Power System Operation Corporation Limited (POSOCO) shall be the Member-Secretary of the Committee. The Monitoring Committee will consider such projects (or their revised costs) for sanction based on the recommendation of the Appraisal Committee and communication of the Central Commission that such projects are in line with the principles defined in these regulations and have been prioritised in accordance with the principles envisaged in these regulations. Based on the sanctions by the Monitoring Committee, the funds will be released to the project entities from the Budget of Ministry of Power. This Committee will also supervise and monitor the implementation of various projects sanctioned by it. Release of funds from PSDF will be regulated as per the extant instructions of the Ministry of Finance in this regard. The release of funds to Nodal Agency from the Public Account for further disbursement to project entities will be made after exercising requisite expenditure control, provided that the scheme has adequate funds provisioned for in the Demand for Grants of Ministry of Power.

8. **Procedure for Application, Screening, Appraisal, Monitoring, Sanction etc of PSDF**

(a) The Regional Power Committees, Generating Companies, Transmission Licensees, Distribution Licensees, Load Despatch Centers, Power Exchange as the case may be, shall furnish necessary details of the projects, schemes or activities to the Nodal Agency.

(b) The Nodal Agency shall place these projects or scheme or activities for techno-economic scrutiny by the Appraisal Committee.

(c) After scrutinizing the proposals, the Appraisal Committee shall submit its Appraisal Report and recommendations in writing to the Central Commission, and to the project entity who has submitted the proposal.

(d) The Nodal Agency will approach the Central Commission, along with the recommendations of the Appraisal Committee, for ascertaining that the projects / scheme(s) / activities are covered within the scope of these Regulations.

(e) The Central Commission, on receipt of such reference, will look into the following aspects viz.:-

(i) Whether the proposed projects / schemes / activities are in line with the purposes defined in these regulations;
(ii) Whether the proposed scheme(s) have been prioritized in accordance with the principles envisaged in these regulations.

(f) If the conditions specified in clause (e) of this regulation are satisfied, the Central Commission shall communicate to the Nodal Agency that the proposed projects are in line with the principles defined in these regulations and have been prioritised in accordance with the principles envisaged in these regulations.

(g) The Central Commission, at this stage shall not go into the details of the project cost, which will be examined by the Appropriate Commission only at the time of filing of tariff petition by the project entity to ensure inter alia that the tariff in respect of such project / scheme is not claimed for the portion of grant from the PSDF.

(h) Based on the communication received in this regard from the Central Commission, the Nodal Agency shall approach the Monitoring Committee for sanction of the fund from the PSDF.

9. **Assistance Pattern**

The funding will be made as a grant, subject to availability of funds. The quantum of grant shall depend on

the strategic importance and the size of the project and shall be considered for release as per these regulations. Detailed guidelines in this regard shall be prepared by the Monitoring Committee.

10. Execution, Operation & Maintenance of the Assets

The project entity shall be responsible for the execution as well as Operation & Maintenance of the projects during its useful life. Operation and Maintenance of the Project / scheme shall be governed in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2014, as amended from time to time or any subsequent enactment thereof.

11. Preparation of Budget, Accounts and other records

Preparation of Budget, Accounting of Receipts/ disbursals from PSDF Public Account, Utilization Certificates, and Audit etc shall be governed in accordance with the provisions made in the Detailed Procedure in this regard.

12. Implementation, Monitoring and Control of Projects/ Schemes

(a) The Regional Power Committees, Transmission Licensees, Distribution Licensees, Load Despatch Centers, Power Exchanges, Central Transmission Utility (CTU), State Transmission Utility (STU) for intra-State systems which are incidental to the ISTS will be the Implementing Agencies.

(b) The Appraisal Committee in consultation with Ministry of Power will evolve a mechanism to evaluate the implementation of projects by laying down objective quantifiable financial and technical outcome parameters for each category of projects funded under the project / scheme.

(c) The Monitoring Committee will supervise and monitor the implementation of projects on the basis of mechanism evolved but not limited to (b) above.

13. Annual Report

An Annual Report of the fund including the projects undertaken during the year, together with the Balance Sheet and Audited Accounts shall be submitted to the Central Government and for information to the Central Commission. The Annual Report shall also be laid on the table of both Houses of Parliament though the Ministry of Power.

14. Power to remove difficulties

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these regulations, the Commission may, by general or specific order, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act and the regulations made thereunder as may appear to be necessary for removing the difficulty in order to achieve the objectives of these regulations.

15. Repeal and Savings

(a) Save as otherwise provided in these regulations, Central Electricity Regulatory Commission (Power System Development Fund) Regulations 2010 are hereby repealed.

(b) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken or purported to have been done or taken including any procedure, minutes, annual reports, confirmation or declaration or any instrument executed under the repealed regulations shall be deemed to have been done or taken under the relevant provisions of these regulations.

SHUBHA SARMA, Secy.

[ADVT-III/4/Exty./152/14]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054